

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
10.4.18	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अभिलेख दिनांक...16.4.18... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	
16.4.18	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि मौजा <u>सोनरिया</u> थाना सं० <u>68</u>, खाता सं० <u>32, 9</u>, प्लॉट सं० <u>5, 186</u> कुल रकवा-<u>72½</u> जो जमाबंदी संख्या-<u>45</u> में निहित है। उक्त जमाबंदी खातो में खाता सं० <u>32</u>, प्लॉट सं० <u>5</u>, रकवा <u>47½</u> गैर आबाद खाते की है। रैयत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं होता है, कि जमीनदारी उन्मूलन के पूर्व उसे रैयती मान्यता मिली थी या नहीं, इस आधार पर उक्त जमाबंदी में दर्ज खातो में रैयती खाता क्रमशः <u>9</u> को छोड़कर गैर आबाद खाता सं० <u>32</u>, प्लॉट सं० <u>5</u>, कुल रकवा-<u>47½</u> प्रथम दृष्टया संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०-<u>45</u> को रद्द करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशासित जाँच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>	